कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड-द्वितीय, ललितपुर।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**051 / 12, 12.09.2012**
प्रार्थी की ओर से	**कोई उपस्थित नहीं हुआ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड-द्वितीय, ललितपुंर द्वारा दिनांक 12.09.2012 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 से लेकर वर्ष 2012-13 तक के लिए निम्नलिखित प्रश्न पूछे गये हैं :-

1. ठेकेदारों के पक्के कार्यों के देयकों से वाणिज्य कर की कटौती की दर।
2. ठेकेदारों से कराये गये मिट्टी खुदाई के कार्यों पर वाणिज्य कर की कटौती की दर।
3. ठेकेदारों से कराये गये मिट्टी भराई के कार्यों पर वाणिज्य कर की कटौती की दर।
4. शासकीय कार्यों हेतु सीमेन्ट, लोहा, मशीनरी आदि की प्रान्त के अन्दर से की गयी आपूर्ति पर वाणिज्य कर की कटौती की दर।
5. शासकीय कार्यों में प्रयुक्त सीमेन्ट, लोहा आदि पर वाणिज्य कर की कटौती की दर।
6. शासकीय कार्यों हेतु प्राइवेट फर्मों से करायी गयी फोटोकापी आदि के देयकों से वाणिज्य कर की कटौती की दर।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को कई नोटिस भेजी गयी, कोई उपस्थित नहीं हुआ। नैसर्गिक न्याय के हित में पुन: दिनांक 19.02.2014 के लिए नोटिस भेजी गई। उक्त नोटिस की तामीली के उपरान्त भी, कोई उपस्थित नहीं हुआ।

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, झाँसी जोन, झाँसी द्वारा पत्र संख्या-1799, दिनांक 31.10.2012 से प्रेषित आख्या में कहा गया है प्रार्थी द्वारा वर्णित कार्यों पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-34 के अनुसार ठेकेदार से सम्बन्धित निर्माण कार्यों पर वैट की कटौती का प्राविधान है। यह कटौती कुल संविदा राशि से सम्बन्धित किये गये भुगतान की राशि का 4% है तथा अधिनियम में कच्चा, पक्का, खुदाई, भराई अथवा मिट्टी का कार्य जैसे मदों को अलग-अलग वर्गीकृत नहीं किया गया है। यह भी अवगत कराया गया है कि कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश बनाम मेसर्स अरिस्टो प्रिन्टर्स, गाजियाबाद के मामले में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.12.2010 में प्रिन्टिंग कार्य को संविदा कार्य माना गया है। इस कार्य में प्रिन्टिंग पेपर एवं प्रिन्टिंग इंक का अन्तरण संविदी को होता है जिसमें अन्तरित किये गये माल का मूल्य लगभग 90% तक होता है। लेकिन अधिनियम में ऐसे कार्य के लिए किये गये भुगतान पर टी0 डी0 एस0 की दर का कोई उल्लेख नहीं है।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि प्रार्थी द्वारा सिविल संविदा के अन्तर्गत ठेकदारों से

....2

विभिन्न निर्माण कार्यों / आपूर्ति पर भुगतान के समय वाणिज्य कर की स्रोत पर कटौती की दर स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है।

उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) निम्न प्रकार से प्राविधानित है :-

" यदि न्यायालय के समक्ष अथवा इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी के समक्ष विचाराधीन कार्यवाही से भिन्न कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ "-

(क) कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का संघ, सोसायटी, क्लब, फर्म, कम्पनी, निगम, उपक्रम या सरकारी विभाग व्यवहारी है, या

(ख) किसी माल के प्रति किया गया कोई कार्य-विशेष स्वत: या परिणामत: माल का निर्माण, उस शब्द के अर्थानुसार है ; या

(ग) कोई संव्यवहार विक्रय या क्रय है और यदि हॉ, तो उसका विक्रय या क्रय मूल्य, यथास्थिति, क्या है ; या

(घ) किसी व्यवहारी विशेष से पंजीयन कराना अपेक्षित है ; या

(ङ) किसी विक्रय या क्रय विशेष के सम्बन्ध में कर देय है, और यदि हॉ, तो उसकी दर क्या है-

उक्त प्राविधानों में सिविल संविदा से सम्बन्धित विभिन्न निर्माण कार्यों एवं आपूर्ति इत्यादि के फलस्वरूप जनित देयकों से स्रोत पर कटौती की दर निर्धारित करने से सम्बन्धित प्रश्न का उत्तर दिया जाना प्राविधानित नहीं है। प्रार्थी का उक्त अनुरोध नीतिगत है जो उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 से आच्छादित न होने के कारण ग्राह्य नहीं होना चाहिए।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, झॉसी जोन, झॉसी द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि प्रार्थी का अनुरोध उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) से आच्छादित नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत स्रोत पर कटौती करने की दर का कोई विनिश्चय नहीं किया जा सकता है। अत: प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य न होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 24 फरवरी, 2014

ह0 / 24.02.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।